छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड ,

(A GOVERNMENT OF C.G.UNDERTAKING)(A SUCCESSOR COMPANY OF CSEB)

CIN: U40108CT2003SGC015821

कार्यालय–कार्यपालक निदेशक (प्रशिक्षण)

विद्युत उत्पादन प्रशिक्षण संस्थान, कोरबा पूर्व

क्रमांक / 20–02 / पीजीटीआई / ए.पी.टी. / **1442** कोरबा पूर्व, दिनांक **30.10.2026**

विज्ञापन

अप्रेन्टिसशिप एक्ट 1961 (As amended in 1973 , 1986 & 2014) के अंतर्गत छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड द्वारा वर्ष 2026–27 में नियोजन के लिये निम्नलिखित संकायों में स्नातक(तकनीकी) / डिप्लोमा(तकनीकी) योग्यता धारियों को एक वर्षीय अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण (Apprenticeship Training) हेतु वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिये रिक्त पदो पर आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है :–

(01) स्नातक अप्रेंटिस (तकनीकी संकाय) :–

क्रमांक	विषय	प्रशिक्षुओ की संख्या / रिक्तियां	अर्हकारी शैक्षणिक योग्यता	प्रशिक्षुवृत्ति की दर
01	Civil Engineering	02	मान्यता प्राप्त संस्थान / विश्वविद्यालय से संबंधित संकाय में इंजीनियरिंग / टेक्नालॉजी में स्नातक ।	रूपये 12,300 /– प्रतिमाह
02	Mechanical Engineering	17		
03	Electrical Engineering	16		
04	CSE/EEE/IT	03		
	Total	38		

(02) डिप्लोमा अप्रेंटिस :–

क्रमांक	विषय	प्रशिक्षुओ की संख्या / रिक्तियां	अर्हकारी शैक्षणिक योग्यता	प्रशिक्षुवृत्ति की दर
01	Civil Engineering	02	राज्य के तकनीकी बोर्ड / मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित संकाय मे डिप्लोमा।	रूपये 10,900 /– प्रतिमाह
02	Mechanical Engineering	22		
03	Electrical Engineering	03		
04	CSE/EEE/IT/ Electronics	01		
	Total	28		

नोटः–

1. उपरोक्त नियोजन वित्तीय वर्ष 2026–27 में रिक्त होने वाले पदो पर किया जावेगा।
2. उपरोक्त प्रशिक्षुओं को छ.ग.रा.वि.उ.कं.लि. के हसदेव ताप विद्युत गृह कोरबा पश्चिम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह कोरबा पूर्व, अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत गृह, मड़वा तेदूभांठा, जिला जांजगीर चांपा एवं हसदेव बांगो जल विद्युत संयंत्र माचाडोली में अप्रेंटिस प्रशिक्षण हेतु नियोजित किया जावेगा।

उपरोक्त पदों पर (Apprenticeship Training) प्रशिक्षण हेतु नियमानुसार नियम एवं शर्ते निम्नांकित है :–

01. उम्मीदवार को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
02. आरक्षणः–उम्मीदवारों का चयन छ.ग. शासन के नियमानुसार आरक्षण नियमों का पालन करते हुए किया जायेगा ।
03. **चयन प्रकिया :–**
 1. **पात्र उम्मीदवारों का चयन अर्हकारी परीक्षा में प्राप्त अंको एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी ।**
 2. **मुख्य चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची कंपनी के वेबसाइट पर प्रकाशित की जावेगी। चयनित सूची में सम्मिलित उम्मीदवारों को उनके ईमेल द्वारा सूचित करते हुए निर्धारित तिथि को कान्ट्रेक्ट (अनुबंध) बनाने हेतु उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया जायेगा एवं यदि उम्मीदवार के पास ईमेल नहीं पहुँचता है तो इसके लिये कम्पनी किसी भी तरह के लिये जवाबदेह नहीं होगी , अतः उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे कम्पनी के वेबसाइट का सतत् अवलोकन करते रहे।**
04. उम्मीदवारों का (Apprenticeship) प्रशिक्षण मात्र एक वर्ष की अवधि के लिये होगी प्रशिक्षण पूर्ण होने के पश्चात उम्मीदवार छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड मे अस्थाई/स्थाई किसी भी प्रकार के रोजगार हेतु हकदार नहीं होंगे ।
05. चयनित उम्मीदवारों को प्रशिक्षण पर उपस्थित होने के समय एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा पूर्व मे कहीं भी अप्रेंटिसशीप एक्ट 1961 (Amended 1973, 1986 & 2014) के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है । घोषणा पत्र का प्रारूप Contract Registration Form मे उपलब्ध है । शैक्षणिक योग्यता परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि और प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि के मध्य की अवधि एक वर्ष से अधिक एवं पाँच वर्ष के बीच हो तो उम्मीदवारो को स्व–शपथपत्र (Self Affidavit) प्रस्तुत करना होगा कि वे इस अवधि मे अन्य किसी जगह कार्यरत् नहीं थे। उम्मीदवार को यदि दिनांक 01 अक्टूबर 2026 को परीक्षा उत्तीर्ण किये पाँच वर्ष पूर्ण हो चुके है, वे अप्रेंटिस प्रशिक्षण के लिये आवेदन करने के लिये पात्र नहीं होगें। चूंकि उपरोक्त रिक्तियां वित्तीय वर्ष 2026–27 में सतत् रिक्त होने पर भरी जावेगी अतः यदि कोई उम्मीदवार का नाम चयन सूची में आ जाता है परन्तु कम्पनी में रिक्तियां नही होने कारण नियोजन नहीं हो

पाता है एवं इस अवधि में उसको अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण हुए 5 वर्ष हो जाते है तो उसका NATS पोर्टल पर अनुबंध नही बन सकता अतः केन्द्र शासन के नियमानुसार उसका चयन स्वमेव निरस्त माना जावेगा।

06. प्रशिक्षुओं (Apprenticeship) को हॉस्टल अथवा वाहन सुविधा उपलब्ध नहीं होगी ।
07. अन्य नियम एवं शर्ते अप्रेंटिसशीप एक्ट 1961 (As amended in 1973, 1986 & 2014) के तथा समय–समय पर जारी संशोधनों के अधीन होगी ।
08. अभ्यर्थियों को National Apprenticeship Training Scheme (NATS) (www.nats.education.gov.in) में अपना Registration करवाना अनिवार्य है तथा आवेदन पत्र में वैध 16 Digit Registration Number अनिवार्य रूप से अंकित किया जाना होगा। आवेदकों का NATS 2.0 में DBT (Direct Benefit Transfer) के लिए समस्त अर्हताएं पूर्ण होनी चाहिए। यदि कोई आवेदक DBT की अर्हताएं अनुबंध दिनांक को पूर्ण नहीं करता होगा, तो उसका चयन निरस्त कर दिया जावेगा।

09. आवेदन प्रक्रियाः–

01. आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की स्व–सत्यापित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा :–

(i) संलग्न प्रारूप में पूर्ण जानकारी भर कर आवेदन पत्र कि मूल प्रति ।
(ii) संलग्न प्रारूप में शपथ पत्र ।
(iii) 10 वीं एवं 12 वीं की अंकसूची की छायाप्रति ।
(iv) अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची की छायाप्रति ।
(v) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को छ.ग. शासन के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी की गई स्थाई जाति प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है ।
(vi) छ.ग. राज्य का स्थाई निवास प्रमाण पत्र की छायाप्रति ।
(vii) आधार कार्ड की छायाप्रति ।
(viii) बैंक पास बुक की छायाप्रति ।
(ix) National Apprenticeship Training Scheme (NATS) का Registration Number.

10. अभ्यर्थियों को NATS (National Apprenticeship Training Scheme) के वेब पोर्टल (nats.education.gov.in) में अपना Registration करने के पश्चात पोर्टल से Establishment Tab में जाकर CSPGCL में ऑनलाईन आवेदन करना अनिवार्य है साथ ही ऑफलाईन आवदेन भी डाक द्वारा अथवा सीधे कार्यालय में निम्न पते पर (कार्यालयीन समय सुबह 10.00 बजे से शाम 05.30 बजे तक) जमा कर सकते है । आवेदन करने की अंतिम तिथि दिनांक 01 दिसम्बर 2026 तक सुनिश्चित की जाती है तत्पश्चात सीधे अथवा डाक द्वारा प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।

पता :–

कार्यालय– कार्यपालक निदेशक / मुख्य अभियंता (प्रशिक्षण),
विद्युत उत्पादन प्रशिक्षण संस्थान,
छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड ,
कोरबा पूर्व ,जिला–कोरबा (छ.ग.) 495677

कार्यपालक निदेशक 29/10/26
पी.जी.टी.आई.,छ.रा.वि.उत्पा.कं.लि.,कोरबा (पूर्व)

प्रतिलिपि:–

1. सहायक निदेशक शिक्षु प्रशिक्षण मंडल (पश्चिम क्षेत्र) ATI Campus, V N Purav Marg Sion, Mumbai, PIN- 400022.
2. कार्यपालक निदेशक (मा.संसा–उत्पा.) छ.ग.स्टे.पॉ.कं. डंगनिया रायपुर।
3. कार्यपालक निदेशक (ई.आई.टी.सी.) छ.ग.स्टे.पॉ. डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी।
4. कार्यपालक निदेशक / मुख्य अभियंता डी.एस.पी.एम.टी.पी.एस. / एच.टी.पी.एस. / ए.बी. व्ही.टी.पी.एस. / हसदेव बांगो जल विद्युत संयंत्र,कोरबा पूर्व / कोरबा पश्चिम / मड़वा तेदूभाठा जिला–जांजगीर चांपा / माचाडोली की ओर कार्यालय के सूचना पटल पर प्रकाशन हेतु।
5. स्टॉफ आफिसर–संबद्ध–प्रबंधक निदेशक (उत्पा.) छराविउकंमर्या, रायपुर।

अप्रेन्टिसशिप एक्ट 1961 (As amended in 1973, 1986 & 2014) के तहत छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड में अप्रेन्टिशिप हेतु आवेदन पत्र

(आवेदन पत्र में सभी जानकारी स्पष्ट अक्षरों मे भरें । जो जानकारी लागू नही उसे काट दें)

प्रति,

कार्यपालक निदेशक (पी.जी.टी.आई),
छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड,
कोरबा पूर्व (छत्तीसगढ़), पिन– 495677

अभ्यर्थी अपना नवीनतम रंगीन फोटोग्राफ स्वहस्ताक्षरित यहां चस्पा करें।

1. आवेदित अप्रेंटिसशिप : ग्रेज्युएट (तकनीकी / गैर तकनीकी) / डिप्लोमा
2. NATS 2.0 Registration Number : _____
3. ब्रॉच / ट्रेड : _____
4. नाम (हिंदी में) : _____

(अंग्रेजी के कैपिटल लेटर्स में) : _____

5. पिता / पति का नाम : _____
6. आधार कार्ड नम्बर : _____
7. जन्म तिथि : दिनांक_____माह_____वर्ष_____
 (हाई स्कूल का प्रमाण पत्र संलग्न करें)
8. आयु दिनांक **01.07.2026** की स्थिति में : वर्ष_____माह_____दिन_____
9. पत्र व्यवहार हेतु वर्तमान पता : _____

10. स्थाई पता (पिन कोड सहित) : _____

11. राष्ट्रीयता : _____
12. श्रेणी : अनारक्षित / अनु.जाति / अनु.जन.जाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / ई.डब्ल्यू.एस. (EWS)
13. शैक्षणिक अर्हता (न्यूनतम योग्यता से शुरू करें) : _____

क्र	उत्तीर्ण परीक्षा का नाम	बोर्ड / विश्वविद्यालय का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	प्राप्तांक	पूर्णांक	प्रतिशत

Executive Director (Trg.)
CSPGCL, KORBA (East)

14. क्या आप विवाहित है (हॉ/नहीं) : _____

15. फोन/मोबाईल नम्बर : _____

16. ई–मेल पता : _____

17. **बैंक विवरण**

- आईएफएससी कोड : _____
- बैंक शाखा का नाम : _____
- बैंक का नाम : _____
- खाता धारक का नाम : _____
- बैंक खाता संख्या : _____

18. **संलग्नो की सूची**

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____

Executive Director (Trg.)
CSPGCL, KORBA (East)

आवेदक का नाम एवं पूर्ण हस्ताक्षर

नामः–.....

घोषणा पत्र

मैं.....घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने पूर्व मे अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 (Amended in 1973 , 1986 & 2014) के तहत अप्रेटिस प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया/की हूँ। मै यह भी घोषणा करता/ करती हूँ कि इस आवेदन मे दिये गये सभी विवरण मेरे सर्वोत्तम विश्वास एवं जानकारी के अनुसार सत्य, पूर्ण एवं सही है एवं अप्रेंटिस प्रशिक्षण के लिए मैं निर्धारित योग्यता रखता/ रखती हूँ । मुझे जानकारी है कि इसमे दी गई कोई भी जानकारी या सूचना गलत, असत्य या अपूर्ण पाये जाने पर मेरा आवेदन बिना किसी पूर्व सूचना के रद्द या निरस्त किया जा सकता है ।

दिनांक

स्थान

आवेदक का नाम एवं पूर्ण हस्ताक्षर

नामः–.....